लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS- LSBA/Proj/18/17/262 दिनांक: 05-07-18

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०,
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय: सामुदायिक एवं सामूहिक शौचालयों के निर्माण के उपरांत भुगतान हेतु दिशानिर्देश के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उर्पयुक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2019 तक सम्पूर्ण राज्य को 'खुले मे शौच से मुक्त' करने का महत्वाकांशी लक्ष्य रखा गया है | बिहार सरकार के 'सात निश्चय' में 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' एक महत्वपूर्ण निश्चय है जिसकी सफलता का राज्य के विकास की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा |

ग्रामों/ग्राम पंचायतों को 'खुल में शौच से मुक्त' करने हेतु व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के अलावा आवश्कतानुसार सामुदायिक एवं सामूहिक शौचालयों का भी निर्माण किया जा रहा है| सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 355720 दिनांक 22.02.2018 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर हेतु LSBA वेब साइट पर भुगतान की प्रक्रिया निम्न होगी:-

1. LSBA वेब साइट पर लॉगिन करें
2. Expenditure & Salary विकल्प का चयन करें
3. Name Entry For CSC विकल्प का चयन करें (निर्माता के रजिस्ट्रेशन के लिए)
4. CSC विवरण को भरें (अनिवार्य सेक्शन को जरूर भरें) एवं जानकारी सुनिश्चित करें
5. Lock Payment For CSC का चयन करें
6. Generate Payment File for CSC का चयन करें

सामुहिक शौचालयों (Cluster Toilets) के निर्माण एवं भुगतान :

भूमिहीन परिवारों को शौचालय की पहुँच (Access) सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत सार्वजनिक स्थानों पर क्लस्टर टॉयलेट का निर्माण किया जा सकता है। इन शौचालयों का निर्माण व्यक्तिगत शौचालयों के तरह ही होगा एवं इसके प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभार्थियों के खाते में की जाएगी |

विश्वासभाजन

5/7/18

(राजीव कुमार सिंह)

ज्ञापांक : BRLPS-LSBA/Proj/18/17/262 **दिनांक:** 5.7.18

प्रतिलिपि :-

1. सभी जिला समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-सदस्य, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

5/7/18

(राजीव कुमार सिंह)